

पटना विश्वविद्यालय

बनाम

अवध किशोर प्र० यादव एवं अन्य इत्यादि इत्यादि

5 मई, 1994

[कुलदिप सिंह, पी. बी. सावंत एवं एन. पी. सिंह, न्यायमूर्तिगण]

सेवा विधि:

बिहार अंतर विश्वविद्यालय समिति अधिनियम 1981: व्याख्याताओं एवं पाठकों के लिए समयबद्ध पदोन्नति योजना - राज्य विश्वविद्यालय आयोग की अनुशंसाओं की प्रतीक्षा में अस्थायी पदोन्नति के लिए आवश्यकताएँ आयोग द्वारा अनुशंसित पदोन्नति - बाद में आयोग द्वारा अनुशंसा की वापसी इस आधार पर कि अनुवीक्षण समिति का गठन अधिनियम के अनुसार नहीं किया गया था - विश्वविद्यालय द्वारा परिणामी पदावनति आदेश - सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश।

बिहार राज्य द्वारा व्याख्याताओं एवं पाठकों के लिए एक समयबद्ध पदोन्नति योजना तैयार की गई थी, जिसके तहत व्याख्याताओं एवं पाठकों को निर्धारित निरंतर सेवा अवधि पूरी होने पर पदोन्नत किया जाना था। हालांकि, इस योजना के तहत, पदोन्नति को व्यक्तिगत पदोन्नति माना जाना था, लेकिन यह स्वचालित नहीं थी एवं बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की सिफारिशों पर संबंधित शिक्षकों के अनुभव एवं सी.सी. रोल के आधार पर की जानी थी। इसके अभाव में, संबंधित विश्वविद्यालय विभागों के प्रमुखों या महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों द्वारा शिक्षकों की संतोषजनक सेवा के संबंध में दिए गए अनुभव एवं प्रमाण पत्रों के आधार पर पदोन्नति की जानी थी। यह जांच कुलपति, संबंधित संकाय के डीन, संबंधित विश्वविद्यालय विभाग के प्रमुख एवं बिहार अंतर विश्वविद्यालय समिति द्वारा गठित पैनल से कुलपति द्वारा नियुक्त दो विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा की जाती थी। इसके अतिरिक्त, अनुवीक्षण समिति की प्रतिवेदन को आयोग को उसकी सिफारिश के लिए भेजा

जाना था एवं अंतिम निर्णय अभिषद द्वारा लिया जाना था एवं अभिषद की अनुपस्थिति में, आयोग की सिफारिश प्राप्त होने पर कुलपति द्वारा लिया जाना था। हालांकि, आयोग की सिफारिश के अधीन अस्थायी पदोन्नति की अनुमति थी, लेकिन यदि आयोग पदोन्नति की सिफारिश नहीं करता है, तो ऐसे शिक्षक को दी गई अस्थायी पदोन्नति तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएगी।

उत्तरदाताओं को व्याख्याता के पद से पाठकों के पद पर अस्थायी आधार पर पदोन्नत किया गया था, आयोग की सिफारिश की प्रतीक्षा में। आयोग ने उचित समय पर अपनी सिफारिश भेजी, लेकिन बाद में इस आधार पर अपनी सिफारिश वापस ले ली कि अनुवीक्षण समिति का गठन विधि के प्रावधानों के अनुसार नहीं किया गया था, क्योंकि आवश्यक विशेषज्ञ के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति ने विशेषज्ञ के रूप में भाग लिया था। इसके बाद, संबंधित विश्वविद्यालयों के कुलपति ने उत्तरदाताओं के पदावनति आदेश जारी किए। उत्तरदाताओं ने उच्च न्यायालय में इन आदेशों को चुनौती दी, जिसने विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों द्वारा उत्तरदाताओं को पाठकों के पद से व्याख्याता के पद पर वापस भेजने के आदेशों को निरस्त कर दिया। विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने इस न्यायालय में अपील दायर की।

अपीलकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि चूंकि उत्तरदाताओं को दी गई पदोन्नतियाँ कानून के अनुसार नहीं थीं, इसलिए आयोग द्वारा अपनी सिफारिश वापस लेना उचित था एवं परिणामस्वरूप विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पदोन्नतियाँ वापस लेनी पड़ीं।

उत्तरदाताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि समयबद्ध पदोन्नति योजना के तहत पदोन्नतियाँ व्यक्तिगत पदोन्नतियाँ होने के कारण, इन्हें नियमित पदोन्नतियों के बराबर नहीं माना जा सकता, जहाँ वरिष्ठता-सह-योग्यता का नियम लागू होता है।

अपीलों को स्वीकार करते हुए एवं उच्च न्यायालय के फैसले को निरस्त करते हुए, इस न्यायालय ने

अभिनिर्धारित: 1. यह सत्य है कि समयबद्ध पदोन्नति योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत पदोन्नति को निम्न पद से उच्च पद पर पदोन्नति के समतुल्य नहीं माना जा सकता, जहाँ न केवल वरिष्ठता बल्कि योग्यता की भी जाँच विधिवत गठित समिति या आयोग द्वारा की जानी आवश्यक है। साथ ही, संबंधित कानून से यह प्रतीत नहीं होता कि समिति को केवल यह जाँच करनी थी कि संबंधित व्यक्ति व्याख्याता का स्थायी पद धारण कर रहा है और उसने एक या अधिक विश्वविद्यालयों में व्याख्याता के रूप में कम से कम दस वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली है। यदि यही आवश्यकता थी, तो यह बात समझ में नहीं आती कि सीसी रोल और उसकी अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय विभाग के प्रमुख या संबंधित महाविद्यालय के प्रिंसिपल द्वारा जारी प्रमाण पत्र के साथ-साथ संबंधित व्यक्तियों के अनुभव की जांच एक समिति द्वारा क्यों की जानी चाहिए और जांच के बाद, योग्य शिक्षकों के मामलों को सिफारिश के लिए आयोग को क्यों भेजा जाना चाहिए एवं उसके बाद, आयोग को सिफारिश करने के उद्देश्य से विचार करना चाहिए। अनुवीक्षण समिति एवं आयोग द्वारा संबंधित व्याख्याताओं को समयबद्ध पदोन्नति देने के उद्देश्य से की गई यह प्रक्रिया, वरिष्ठता-सह-योग्यता के सिद्धांत पर नियमित पदोन्नति देने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के समान होना आवश्यक नहीं है। साथ ही, यह एक मात्र औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। [913-डी-ई, जी-एच, 914-ए]

2. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए, अनुवीक्षण समिति एवं आयोग ने समयबद्ध पदोन्नति योजना के तहत पदोन्नति प्रदान करने की सिफारिशें करते समय अपने वैधानिक कर्तव्य का पालन नहीं किया है। हालांकि, सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किया जाता है: [914-ई]

(i) विधिवत गठित अनुवीक्षण समिति केवल उन्हीं व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन पर पहले विचार किया जा चुका है; [914-जी]

(ii) बिहार अंतर विश्वविद्यालय समिति को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की प्राप्ति तिथि से दो माह के भीतर पर्याप्त संख्या में विशेषज्ञों की एक समिति गठित करे, ताकि अनुवीक्षण समिति द्वारा लेक्चररों के पदोन्नति संबंधी मामलों की जांच करते समय समिति से विशेषज्ञों का चयन करने में कोई कठिनाई न हो; [915-ए]

(iii) समितियों को ऐसे सभी मामलों की जांच छह महीने के भीतर करनी चाहिए और जांच के दो सप्ताह के भीतर उन मामलों की प्रतिवेदन देनी चाहिए जो समितियों की राय में, निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं, ताकि आयोग को सिफारिश की जा सके; [915-बी]

(iv) आयोग अपनी सिफारिश संबंधित विश्वविद्यालयों के अभिषद/कुलपतियों को समितियों की प्रतिवेदन प्राप्त होने की तिथि से दो महीने के भीतर भेजेगा; [915-सी]

(v) संबंधित कुलपतियों को समितियों की प्रतिवेदनों के आधार पर अस्थायी पदोन्नति देने की छूट होगी, विधान के खंड 2 के द्वितीय परंतुक के अनुसार। अंतिम निर्णय कुलपतियों की समिति द्वारा आयोग से अनुशंसाएँ प्राप्त होने की तिथि से एक माह के भीतर लिया जाएगा; [915-डी]

(vi) ऐसे व्याख्याता जो संबंधित कुलपतियों द्वारा विनिर्दिष्ट आदेश याचिका में अंतरिम आदेशों के कारण उनकी पदोन्नति निरस्त करने के आदेशों के बावजूद पाठकों के रूप में बने रहे हैं, वे इसी पद पर बने रहेंगे और पाठकों के पदों के वेतन और भत्तों के हकदार होंगे। हालांकि, जिनकी पदोन्नति संबंधित कुलपतियों द्वारा जारी निरस्त करने के आदेश के अनुसार वापस ले ली गई है, वे व्याख्याता के रूप में बने रहेंगे। हालांकि, वे उस अवधि के लिए प्राप्त किसी भी अतिरिक्त राशि को वापस करने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे, जिस दौरान वे पाठकों के रूप में कार्यरत थे; [915-ई-एफ]

(vii) जब उपर्युक्त समयबद्ध पदोन्नति योजना के अंतर्गत पदोन्नति दी जाती है, तो पदोन्नति की तिथि वही होगी जो संबंधित उत्तरदाताओं को पहले दी गई थी। जिन उत्तरदाताओं को संबंधित कुलपति के आदेशों के कारण पदावनत किया गया है, यदि उन्हें पुनः पदोन्नत किया जाता है, तो वे भी अपनी पिछली पदोन्नति तिथियों से वेतन और अन्य भत्तों के हकदार होंगे; [915-जी-एच]

(viii) यह आदेश उन अन्य लोगों के मामलों पर भी लागू होगा, जिन्हें इसी प्रकार पदोन्नत किया गया था और जिनकी पदोन्नति निरस्त की जा सकती थी लेकिन जिन्होंने विनिर्दिष्ट आदेश याचिका दायर करके उच्च न्यायालय से संपर्क नहीं किया है। [916-ए]

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : 1993 का दीवानी अपील संख्या 2660-77।

पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 16.4.93 के निर्णय एवं आदेश से वर्ष 1993 की सी.डब्ल्यू.पी. 1921/93 और 2550 में।

के साथ

(दीवानी याचिका संख्या 305-06 1993 का अंतर्वर्ती आवेदन सं.11-15)

उपस्थित पक्षों के लिए - शांति भूषण, शशि अनुग्रह, आर.के. गर्ग, हरिश एन. साल्वे, के.के. वेणोगोपाल, एम.एन. कृष्णमणि, राजिंदर सचर, प्रशांत भूषण, विद्या सागर, के.सी. मोहन राव, प्रभेस कुमार यादव, ए. शरण, एल.आर. सिंह, सुश्री विमला सिंह, यूनुस मलिक, ई.सी. विद्या सागर, एम.पी. झा, ए.के. श्रीवास्तव, विकास सिंह, अनिल के. चोपड़ा, बी.पी. सिंह, गोपाल सिंह, नवीन प्रकाश एवं बी.बी. सिंह।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एन.पी. सिंह द्वारा सुनाया गया

बिहार राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों और बिहार राज्य विश्वविद्यालय (घटक-महाविद्यालय) सेवा आयोग (इसके बाद 'आयोग' कहा गया है) ने उच्च न्यायालय के उस फैसले को निरस्त करने के लिए ये अपीलें दायर की हैं, जिसमें संबंधित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों द्वारा पारित आदेशों को निरस्त किया गया है, जिसमें समयबद्ध पदोन्नति योजना

के तहत याचिकाकर्ताओं (इसके बाद 'उत्तरदाता' कहा गया है) को दी गई पदोन्नतियों को निरस्त किया गया है।

समयबद्ध पदोन्नति योजना संबंधी विधान बिहार अंतर विश्वविद्यालय समिति और राज्य सरकार की अनुशंसा पर तैयार किया गया था। इसे बिहार अंतर विश्वविद्यालय समिति अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसे कार्यालय पत्र संख्या बी.एस.यू.-27/25 - 4032 जी.एस. दिनांक 21.12.1986 द्वारा प्रसारित किया गया था। उपरोक्त योजना के तहत, एक या अधिक विश्वविद्यालयों में व्याख्याता के रूप में दस वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर चुके व्याख्याता को उपरोक्त विधान में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पाठकों के पद पर पदोन्नत किया जा सकता है। इसी प्रकार, पाठकों के रूप में निर्धारित अवधि की निरंतर सेवा पूरी कर चुके पाठकों को उक्त विधान में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विश्वविद्यालय प्राध्यापक के पद पर पदोन्नत किया जा सकता है।

ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न अपीलों में उत्तरदाताओं के मामले, व्याख्याता के पद से पाठक के पद पर पदोन्नति के लिए, उपरोक्त समयबद्ध पदोन्नति योजना के तहत विचार किए गए थे। उन्हें 1987 से 1992 के बीच अलग-अलग तिथियों पर अस्थायी आधार पर पदोन्नत किया गया था आयोग की सिफारिश की प्रतीक्षा में। इस बात में कोई विवाद नहीं है कि आयोग ने उचित समय पर विभिन्न विश्वविद्यालयों के विभिन्न व्याख्याताओं के संबंध में अपनी सिफारिश भेजी थी, जिन्हें पहले ही अस्थायी आधार पर पाठक के पद पर पदोन्नत किया जा चुका था। ऐसी अंतिम सिफारिश 25.01.1993 की है। हालांकि, 10.02.1993 के एक प्रस्ताव द्वारा, आयोग ने अपनी सिफारिश वापस ले ली, यह कहते हुए:

“.....यदि अनुवीक्षण समिति का गठन विधि के प्रावधानों के अनुसार नहीं किया गया है और अनुवीक्षण समिति में आवश्यक विशेषज्ञ के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति ने विशेषज्ञ के रूप में भाग लिया है, तो आयोग उन्हें अनियमित मानता है, और तदनुसार उनकी पदोन्नति की सिफारिश अस्वीकार की जाती है।

ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद, संबंधित विश्वविद्यालयों ने आदेश जारी कर उत्तरदाताओं को पाठकों के पदों से हटाकर व्याख्याता के स्थायी पदों पर वापस नियुक्त कर दिया। यह उल्लेख किया जा सकता है कि उच्च न्यायालय के समक्ष विभिन्न विनिर्दिष्ट आदेश याचिकाओं में कुछ उत्तरदाताओं को पाठकों के पदों से विश्वविद्यालय प्राध्यापक के पदों पर अस्थायी आधार पर पदोन्नत भी किया गया था। यह स्वीकार किया गया है कि विश्वविद्यालयों को पाठकों के पदों से विश्वविद्यालय प्रधानाध्यापक के पदों पर उनकी पदोन्नति के संबंध में आयोग की सिफारिश प्राप्त नहीं हुई थी। उच्च न्यायालय ने आयोग के दिनांक 10.02.1993 के उस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया है जिसमें उसने अपनी सिफारिश वापस ले ली थी। इसने विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों द्वारा जारी किए गए उन विभिन्न आदेशों को भी निरस्त कर दिया है जिनमें उत्तरदाताओं को पाठकों के पदों से हटाकर व्याख्याता के पदों पर वापस नियुक्त किया गया था।

अपीलकर्ताओं की ओर से यह बताया गया कि समयबद्ध पदोन्नति योजना के तहत उत्तरदाताओं को दी गई पदोन्नतियाँ ऐसी पदोन्नतियों के लिए बनाए गए विधान के अनुरूप नहीं थीं, और इसलिए आयोग को इसकी जानकारी होने पर अपनी सिफारिश वापस लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक बार आयोग द्वारा सिफारिश वापस ले लिए जाने के बाद, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पदोन्नतियाँ वापस लेनी पड़ीं।

व्याख्याताओं की पाठकों के पदों पर समयबद्ध पदोन्नति से संबंधित विधान में यह प्रावधान है कि विधान में किसी विपरीत प्रावधान के होते हुए भी, विश्वविद्यालय विभाग या विश्वविद्यालय द्वारा संचालित एवं अनुरक्षित डिग्री महाविद्यालय में कार्यरत व्याख्याता को आयोग की सिफारिश पर समयबद्ध योजना के आधार पर पाठकों के पद पर पदोन्नत किया जाएगा, बशर्ते कि (क) उसके पास व्याख्याता के पद के लिए निर्धारित योग्यता हो, जो उसकी नियुक्ति के समय लागू विधान के अंतर्गत हो; (ख) वह व्याख्याता के पद पर स्थायी नियुक्ति पर हो और विधान में निर्धारित शर्तों को पूरा करता हो; और (ग) उसने एक या

अधिक विश्वविद्यालयों में व्याख्याता के रूप में कम से कम दस वर्ष की निरंतर सेवा पूरी की हो। विधान का खंड 2, जो प्रासंगिक है, इस प्रकार है:

“ऐसी पदोन्नति व्यक्तिगत पदोन्नति मानी जाएगी। यह स्वतः नहीं होगी, बल्कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय (घटक महाविद्यालय) सेवा आयोग की सिफारिश पर, संबंधित शिक्षक के अनुभव और क्रेडिट अभिलेख (सीसी रोल) पर विचार करते हुए की जाएगी।

बशर्ते कि जहां इन नियमों के लागू होने से पहले सीसी रोल नहीं रखे गए हैं, वहां इस नियम के लागू होने की तारीख को पाठकों या विश्वविद्यालय प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र शिक्षकों की स्थिति पर उक्त आयोग द्वारा विचार किया जाएगा। यह विचार संबंधित विश्वविद्यालय विभागों के प्रमुखों या महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों द्वारा शिक्षकों की संतोषजनक सेवा के संबंध में दिए गए अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर किया जाएगा, जिनकी जांच कुलपति, संबंधित संकाय के डीन, संबंधित विश्वविद्यालय विभाग के प्रमुख और बिहार अंतर-विश्वविद्यालय समिति द्वारा गठित पैनल से कुलपति द्वारा नियुक्त दो विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा की जाएगी।

इसके अलावा, समिति की प्रतिवेदन प्रत्येक मामले में बिहार राज्य विश्वविद्यालय (घटक महाविद्यालय) सेवा आयोग को उसकी सिफारिश के लिए भेजी जाएगी, लेकिन जहां समिति की राय में कोई शिक्षक निर्धारित शर्तों को पूरा करता है और पदोन्नति के योग्य पाया जाता है, तो अभिषद, कुलपति की सिफारिश पर, उक्त आयोग की सिफारिश पर अंतिम निर्णय लिए जाने तक ऐसे शिक्षक की अस्थायी आधार पर पदोन्नति का आदेश दे सकता है, लेकिन यदि आयोग पदोन्नति की सिफारिश नहीं करता है, तो ऐसे शिक्षक को दी गई अस्थायी पदोन्नति तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएगी।

इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि इसके बाद प्रत्येक शिक्षक के संबंध में सी.सी. रोल नियमित रूप से कुलपति द्वारा इस उद्देश्य के लिए अनुमोदित प्रक्रिया और प्रारूप के अनुसार बनाए रखा जाएगा।"

खंड 4 में यह प्रावधान है कि यदि किसी शिक्षक को पाठकों या विश्वविद्यालय प्राध्यापक के पद पर पदोन्नत किया जाता है, तो ऐसी पदोन्नति उस तिथि से प्रभावी होगी जिस तिथि से व्याख्याता ने अपनी योग्यता सेवा का 11वां वर्ष पूरा किया हो, या 1 फरवरी, 1985 से, जो भी बाद में हो। खंड 5 के अनुसार, यदि किसी शिक्षक को उक्त आयोग द्वारा पाठकों के पद पर पदोन्नति के लिए अनुशंसित नहीं किया गया है, तो उसके नाम पर अंतिम बार विचार किए जाने के एक वर्ष बाद उसे पुनः पदोन्नति के लिए विचार किया जा सकता है। ऐसे मामले में पदोन्नति आयोग की अनुशंसा की तिथि से प्रभावी होगी। खंड 11 कहता है:

"विश्वविद्यालय के निबंधक, कुलपति की स्वीकृति से, पात्र उम्मीदवारों की एक सूची, जिसमें प्रत्येक उम्मीदवार के बारे में सभी आवश्यक जानकारी और सेवा रिकॉर्ड तथा क्रेडिट कार्ड सहित सभी प्रासंगिक दस्तावेज शामिल हों, कुलपति द्वारा नियुक्त अनुवीक्षण समिति के समक्ष रखेंगे। अनुवीक्षण समिति की सिफारिश, सभी प्रासंगिक दस्तावेजों सहित, बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संघटक महाविद्यालय) सेवा आयोग को प्रस्तुत की जाएगी और उक्त आयोग की सिफारिश को आदेश हेतु अगली बैठक में अभिषद के समक्ष रखा जाएगा।

यद्यपि विधान में यह प्रावधान है कि व्याख्याताओं को एक या अधिक विश्वविद्यालयों में व्याख्याता के रूप में कम से कम दस वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद पाठकों के पद पर समयबद्ध पदोन्नति दी जाएगी, फिर भी उसी विधान में यह कहा गया है कि पदोन्नति स्वतःस्फूर्त नहीं होगी। यह संबंधित शिक्षक के अनुभव और क्रेडिट अभिलेख (सी.सी. रोल) पर विचार करने के बाद आयोग की सिफारिश पर की जाएगी। विधिक के खंड 2 का पहला प्रावधान कहता है कि जहां विधिक के लागू होने से पहले शिक्षक पंजीकरण

अभिलेख (सीसी रोल) नहीं रखे गए हैं, वहां विधिक के लागू होने की तिथि पर पाठकों के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र शिक्षकों के मामलों पर उनके अनुभव और संबंधित विश्वविद्यालय विभागों के प्रमुखों या महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों द्वारा जारी प्रमाण पत्रों के आधार पर विचार किया जाएगा। इसकी पूर्व जांच एक समिति द्वारा की जाएगी जिसमें कुलपति, संबंधित संकाय के डीन, संबंधित विश्वविद्यालय विभाग के प्रमुख और "बिहार अंतर विश्वविद्यालय समिति द्वारा तैयार पैनल से कुलपति द्वारा नियुक्त दो विशेषज्ञ" शामिल होंगे। दूसरे प्रावधान के मद्देनजर, अनुवीक्षण समिति की प्रतिवेदन आयोग को उसकी सिफारिश के लिए भेजी जानी है। अंतिम निर्णय अभिषद द्वारा लिया जाना है, और अभिषद की अनुपस्थिति में, आयोग की सिफारिश प्राप्त होने पर कुलपति द्वारा लिया जाएगा। हालांकि, यह प्रावधान उन मामलों में जहां उपर्युक्त समिति की राय है कि संबंधित शिक्षक निर्धारित शर्तों को पूरा करता है और पदोन्नति के लिए योग्य पाया गया है, अभिषद/कुलपति को ऐसे शिक्षक को अस्थायी आधार पर पदोन्नत करने का आदेश देने में सक्षम बनाता है, जब तक कि आयोग की सिफारिश पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता।

अपीलकर्ताओं की ओर से, अर्थात् आयोग और विश्वविद्यालयों की ओर से, यह बताया गया कि यद्यपि संबंधित क़ानून में यह स्पष्ट किया गया है कि समयबद्ध पदोन्नति भी स्वतः नहीं होगी और सेवा के संतोषजनक अभिलेख की जाँच समिति द्वारा उचित रूप से की जानी चाहिए, कुलपति द्वारा बिहार अंतर विश्वविद्यालय समिति द्वारा तैयार पैनल से नियुक्त दो विशेषज्ञों की सहायता से, वर्तमान मामले में, समिति ने संबंधित उत्तरदाताओं की पदोन्नति को नियमित और स्वतः मान लिया है, जबकि इन उत्तरदाताओं ने एक या अधिक विश्वविद्यालयों में व्याख्याता के रूप में दस वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली है। यह बताया गया कि अधिकांश मामलों में, विधि के खंड 2 के प्रथम परंतुक के अनुसार विशेषज्ञों की नियुक्ति नहीं की गई है। उत्तरदाताओं का यह रुख प्रतीत होता है कि समयबद्ध पदोन्नति योजना के तहत पदोन्नति, व्यक्तिगत पदोन्नति होने के कारण, व्याख्याता के पद से पाठक

के पद पर नियमित पदोन्नति के बराबर नहीं मानी जानी चाहिए, जहाँ वरिष्ठता-सह-योग्यता का नियम लागू होता है। इस संबंध में, यह बताया गया कि यह विधि के खंड 2 के द्वितीय परंतुक में प्रयुक्त "पदोन्नति के योग्य पाया गया" वाक्यांश से स्पष्ट है।

यह सत्य है कि समयबद्ध पदोन्नति योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत पदोन्नति को निम्न पद से उच्च पद पर पदोन्नति के समतुल्य नहीं माना जा सकता, जहाँ न केवल वरिष्ठता बल्कि योग्यता की भी जाँच विधिवत गठित समिति या आयोग द्वारा की जानी आवश्यक है। साथ ही, संबंधित कानून से यह प्रतीत नहीं होता कि समिति को केवल यह जाँच करनी थी कि क्या संबंधित व्यक्ति व्याख्याता के स्थायी पद पर कार्यरत है और उसने एक या अधिक विश्वविद्यालयों में व्याख्याता के रूप में कम से कम दस वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली है। यदि यही आवश्यकता थी, तो हम यह समझने में असमर्थ हैं कि सीसी रोल और उसकी अनुपस्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय विभाग के प्रमुख या प्रधानाचार्य का प्रमाण पत्र, साथ ही संबंधित व्यक्तियों के अनुभव की जाँच कुलपति, संबंधित संकाय के डीन, संबंधित विश्वविद्यालय विभाग के प्रमुख और बिहार अंतर विश्वविद्यालय समिति द्वारा गठित पैनल से कुलपति द्वारा नियुक्त दो विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा क्यों की जानी है। निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले और पदोन्नति के योग्य पाए जाने वाले शिक्षकों की जाँच के बाद, उनके मामलों को आयोग की सिफारिश के लिए भेजा जाना है। केवल आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही समयबद्ध पदोन्नति योजना के तहत पदोन्नति दी जानी है। अनुवीक्षण समिति का विधिवत गठन किया जाना चाहिए और उसे आयोग को अपनी राय भेजने से पहले विभिन्न मामलों पर विचार करना होगा। इसके बाद, आयोग से अपेक्षा की जाती है कि वह सिफारिश करने के उद्देश्य से विचार करे। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, अनुवीक्षण समिति और आयोग द्वारा संबंधित व्याख्याताओं को समयबद्ध पदोन्नति देने के उद्देश्य से की जाने वाली यह प्रक्रिया, वरिष्ठता-सह-योग्यता के सिद्धांत पर नियमित पदोन्नति देने के लिए

अपनाई गई प्रक्रिया के समान नहीं होनी चाहिए। साथ ही, यह केवल एक औपचारिकता नहीं होनी चाहिए।

अपीलकर्ताओं की ओर से यह बताया गया कि अनुवीक्षण समिति ने यांत्रिक रूप से उन संबंधित व्याख्याताओं के मामलों की सिफारिश की जो स्थायी आधार पर व्याख्याता के पदों पर कार्यरत थे और दस वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर चुके थे। यह भी बताया गया कि अधिकांश मामलों में, बिहार अंतर विश्वविद्यालय समिति द्वारा तैयार पैनल से संबंधित कुलपति द्वारा दो विशेषज्ञों की नियुक्ति नहीं की गई थी। उत्तरदाताओं की ओर से यह कहा गया कि बिहार अंतर विश्वविद्यालय समिति द्वारा तैयार पैनल में शामिल विशेषज्ञों के प्रति विभिन्न विश्वविद्यालयों के रवैये को देखते हुए, उनमें से अधिकांश अनुवीक्षण समिति की कार्यवाही में भाग लेने के इच्छुक नहीं थे। इस संबंध में, विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न तिथियों पर दिए गए कुछ पत्रों का उल्लेख किया गया।

हालांकि, वर्तमान मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हम संतुष्ट हैं कि अनुवीक्षण समिति और आयोग दोनों ने समयबद्ध पदोन्नति योजना के तहत पदोन्नति प्रदान करने की सिफारिशें करते समय अपने वैधानिक कर्तव्य का पालन नहीं किया है। साथ ही, हम इस बारे में कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं कि क्या आयोग को सिफारिशें करने के बाद उन्हें वापस लेने का अधिकार था। लेकिन सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित आदेश पारित करते हैं:

(i) संबंधित उत्तरदाताओं के मामलों को विधिवत गठित समितियों के समक्ष, विधिवत रूप से, कानून के खंड 2 के प्रथम परंतुक के अनुसार रखा जाए;

(ii) अनुवीक्षण समितियाँ, उपर्युक्त कानून के अनुसार, केवल उन्हीं व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेंगी जिन पर पहले विचार किया जा चुका है। अनुवीक्षण समितियाँ या आयोग किसी अन्य व्यक्ति के मामले पर विचार नहीं करेंगे;

(iii) चूंकि कई मामलों में बिहार अंतर विश्वविद्यालय समिति द्वारा गठित पैनल के विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं थे, इसलिए बिहार अंतर विश्वविद्यालय समिति को पर्याप्त संख्या में विशेषज्ञों का एक पैनल गठित करने का निर्देश दिया जाता है, ताकि जब अनुवीक्षण समितियों को लेक्चररों के पदोन्नति संबंधी मामलों की जांच करनी हो, तो पैनल से विशेषज्ञों के चयन में कोई कठिनाई न हो। समिति इस आदेश की प्राप्ति तिथि से दो महीने के भीतर पैनल तैयार करेगा;

(iv) समितियों को आज से छह महीने के भीतर ऐसे सभी मामलों की जांच करनी चाहिए और जांच पूरी होने के दो सप्ताह के भीतर उन मामलों की प्रतिवेदन देनी चाहिए, जिनमें से जो समितियों की राय में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं, उन्हें आयोग को सिफारिश के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए;

(v) आयोग समितियों की प्रतिवेदन प्राप्त होने की तिथि से दो महीने के भीतर संबंधित विश्वविद्यालयों के सिंडिकेट्स/कुलपतियों को अपनी सिफारिश भेजेगा;

(vi) संबंधित कुलपतियों को समितियों की प्रतिवेदनों के आधार पर अस्थायी पदोन्नति देने की स्वतंत्रता होगी, नियम के खंड 2 के दूसरे परंतुक के अनुसार। अंतिम निर्णय अभिषदों/कुलपतियों द्वारा आयोग से सिफारिशें प्राप्त होने की तिथि से एक माह के भीतर लिया जाएगा;

(vii) ऐसे व्याख्याता जो संबंधित कुलपतियों द्वारा विनिर्दिष्ट आदेश याचिका में अंतरिम आदेशों के कारण उनकी पदोन्नति निरस्त करने के आदेशों के बावजूद पाठकों के रूप में बने रहे हैं, वे इसी पद पर बने रहेंगे और पाठकों के पदों के वेतन और भत्तों के हकदार होंगे। हालांकि, जिनकी पदोन्नति संबंधित कुलपतियों द्वारा जारी निरस्त करने के आदेश के अनुसार वापस ले ली गई है, वे व्याख्याता के रूप में बने रहेंगे। हालांकि, वे उस अवधि के लिए प्राप्त किसी भी अतिरिक्त राशि को वापस करने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे, जिस दौरान वे पाठकों के रूप में कार्यरत थे;

(viii) जब उपर्युक्त समयबद्ध पदोन्नति योजना के अंतर्गत पदोन्नति दी जाती है, तो पदोन्नति की तिथियां वही होंगी जो संबंधित उत्तरदाताओं को पहले दी गई थीं। जिन उत्तरदाताओं को संबंधित कुलपति के आदेशों के कारण पदावनत किया गया है, यदि उन्हें पुनः पदोन्नत किया जाता है, तो वे भी अपनी पिछली पदोन्नति तिथियों से वेतन और अन्य भत्तों के हकदार होंगे;

(ix) यह आदेश उन अन्य लोगों के मामलों पर भी लागू होगा, जिन्हें इसी प्रकार व्याख्याता के पद से पाठक के पद पर पदोन्नत किया गया था, इसी समयबद्ध पदोन्नति योजना के तहत, और जिनकी पदोन्नतियाँ निरस्त की जा सकती थीं, लेकिन जिन्होंने विनिर्दिष्ट आदेश याचिकाएँ दाखिल करके उच्च न्यायालय से संपर्क नहीं किया है।

उपरोक्त निर्देशों के अनुसार अपीलें स्वीकार की जाती हैं। उच्च न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाता है। अवमानना याचिकाएँ और अंतरिम आवेदन भी तदनुसार निपटा दिए जाते हैं।

टी.एन.ए.

अपीलों की अनुमति दी गई।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।